

प्रेषक,

स्वाति एस. भदौरिया,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड भाषा संस्थान,
देहरादून।

भाषा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: ०९ मई, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2023-24 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

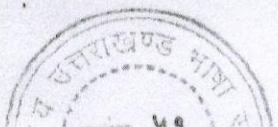
महोदया,

उपर्युक्त विषयक वित्त (अनु-01) विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-111469/09(150)-2019/xxvii(1)/2023, दिनांक-31.03.2023 एवं तत्कम में आपके पत्रांक-09/02-बजट/उ.भा.सं.2023-24, दिनांक-10 अप्रैल 2023 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड भाषा संस्थान के अधिष्ठान के विभिन्न व्ययों के वहन हेतु अनुदान संख्या 11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के निम्नलिखित मानक मदों की कुल प्राविधानित धनराशि रु0 250.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 135.00 लाख (रु0 एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नवत् व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	शीर्षक	(धनराशि रु0 हजार में)		
		प्राविधानित धनराशि 2023-24	शेष धनराशि	वर्तमान में प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	5	6
05	वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	5000	4500	500
08	पारिश्रमिक	5000	2000	3000
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	15000	5000	10000
	योग	25000	11500	13500

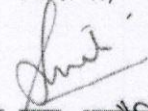
(रु0 एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 102-आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन, 05-भाषा विकास, 00-मतदेय, 04-उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान के मानक मद 05-वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान, 08-पारिश्रमिक, 56-सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।



3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-111469/09(150)-2019/xxvii(1)/2023, दिनांक-31.03.2023 में प्रतिनिधायन किये गये अधिकारों एवं निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,



(स्वाति एस. भदौरिया)

अपर सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निम्बूवाला, कौलागढ़, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भाषा संस्थान, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
- 9- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(नन्दन सिंह बिष्ट)

उप सचिव।